

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक:- प.19(1)परि/2019/

जयपुर, दिनांक:- 17/7/2019

अधिसूचना

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.5(1) कार्मिक/(क-1)/2019 जयपुर दिनांक 03.07.2019 के द्वारा श्री राजीव स्वरूप आई.ए.एस. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, गृह रक्षा, जेल एवं राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो एवं पदेन मुख्य सतर्कता आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन विभाग राजस्थान जयपुर को अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर का अतिरिक्त कार्यभार अग्रिम आदेशों तक संपादित करने के निर्देशों की अनुपालना में पथ परिवहन निगम अधिनियम 1950 (केन्द्रीय अधिनियम-64 सन् 1950) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद् द्वारा श्री राजीव स्वरूप आई.ए.एस. को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि दिनांक 03.07.2019 से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से



(पी.डी. पारीक)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, परिवहन विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर।
5. सचिव, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (परिवहन कक्ष) भारत सरकार नई दिल्ली।
6. सचिव, रेल मंत्रालय (रेल्वे बोर्ड) भारत सरकार नई दिल्ली।
7. श्री राजीव स्वरूप, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार जयपुर।
9. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह एवं मुख्य सतर्कता आयुक्त, परिवहन राजस्थान जयपुर।
10. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, परिवहन विभाग जयपुर।
11. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर।
12. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान जयपुर।
13. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक(क-1) शासन सचिवालय जयपुर।
14. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय जयपुर।
15. सचिव, राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण जयपुर।
16. प्रबन्ध निदेशक, जेसीटीएसएल जयपुर/एसीटीएसएल अजमेर/केसीटीएसएल कोटा/जेसीटीएसएल जोधपुर।
17. समस्त निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर।
18. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को उनके राजस्थान राज्य पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ हार्ड एवं सोफ्ट कॉपी संलग्न कर लेख है कि इसके प्रकाशन की सूचना इस विभाग को भी भिजवाये।
19. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर।
20. विधि (कोडीफिकेशन) विभाग
21. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान जयपुर।
22. कोषाधिकारी, जिलाधीश/शासन सचिवालय जयपुर।
23. रक्षित पत्रावली।